प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट - पैंतीस

अतारांकित प्रश्न 304 परिशिष्ट अ

[22/7/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 304]

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 2-3/2010/सात/शा.6

प्रति,

भोपाल, दिनांक 18 मई, 2016

1. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त सरपंच,
   ग्राम पंचायत
   मध्यप्रदेश।

विषय: ग्राम पंचायत द्वारा अविवादित नामांतरण एवं बंटवारा के प्रकरणों के निवर्तन।
संदर्भ: इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-3-2010-सात-शा.6 दिनांक 13 मई, 2016।

राज्य शासन द्वारा प्रसारित आदेश दिनाक 13 मई, 2016 के संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि संबधित कलेक्टर अपने जिले में तहसीलदारों के माध्यम से प्रत्येक नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को यह निर्देश दें कि वे उक्त अधिसूचना के परिपालन हेतु-

(1) अविवादित नामान्तरण का प्रत्येक प्रकरण नियमानुसार पटवारी द्वारा नामान्तरण पंजी पर प्रविष्ट कर समस्त विवरण सहित अविलम्ब अपने क्षेत्र की संबधित ग्राम पंचायत के समक्ष नियमित रूप से प्रस्तुत करें तथा ऐसे मामले में ग्राम पंचायत के द्वारा पारित प्रस्ताव में निहित आदेश की विधिवत् प्रविष्टियां अंकित करें।

(2) कृषि खातों के अविवादित बंटवारे के मामलों में संबंधित पटवारी प्रकरण ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करें तथा ग्राम पंचायत के आदेश की नियमानुसार अभिलेखों में प्रविष्टिया अंकित करें।

(3) संबंधित ग्राम पंचायत अविवादित नामान्तरण एवं अविवादित बंटवारे के मामलों के निराकरण हेतु बैठक में विचार करेगी तथा आयोजित बैठक में ऐसे मामलों का विधिवत् इस हेतु राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 258 की उपधारा (2) खण्ड (चौबीस) एवं खण्ड (चवालीस) के अंतर्गत बनाए गए संबंधित नियमों का पालन करते हुए और निर्धारित प्रकिया का अनुसरण करते हुए निवर्तन करेगी। ग्राम पंचायत का निर्णय उनकी विधिवत् बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा लिया जाएगा।

(4) ग्राम पंचायत अविवादित नामान्तरण एवं अविवादित बटवारे के मामलों में यथाशीघ्र प्रकरण से हितबद्ध सभी पक्षकारों को निहित प्रारूपों में सूचना तथा आम इस्तहार भी जारी करेगी।

(5) यदि किसी अविवादित नामान्तरण या बटवारे के मामले में आदेश पारित होने के पूर्व किसी भी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत होती है तो ग्राम पंचायत आगामी कार्यवाही रोक देगी तथा नामान्तरण पंजी पर आपत्ति का उल्लेख अंकित करते हुए आपत्तिकर्ता एवं हितबद्ध पक्षकारों को निर्देशित करेगी कि वे अपने आवेदन एवं आपत्तियां संबधित तहसीलदार या नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करें।

2/ ग्राम पचायत उनकी अपनी अधिकारिता के भीतर के अविवादित नामांतरण के मामलों का निराकरण 30 दिन के भीतर करेगी और अविवादित बंटवारों के मामलों का निराकरण 90 दिन के भीतर करेगी। इस अवधि के पश्चात् ऐसे मामलों का निराकरण संबंधित तहसीलदार द्वारा किया जाएगा।

(किरण मिश्रा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0 कमांक एफ 2-3/2010/सात/शा.6

भोपाल, दिनांक 18 मई, 2016

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. उप सचिव, मध्यप्रेदश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
4. निज सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, मध्यप्रदेश।
5. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश।
6. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
7. सचिव, राजस्व मंडल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
8. समस्त सभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
9. आदेश पत्रावली।
10. प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय, भोपाल कृपया राजस्व विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करायें।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग